राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
54वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2015
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 54वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2015 को श्री हरीश रावत, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड की अध्यक्षता एवं श्रीमती इंदिरा हृदयेश, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, श्री अनूप वधावन, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, और भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, समस्त बैंक / बीमा कंपनी एवं शासकीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

श्री पल्लव महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड और माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड, प्रशासन एवं बैंकों के उच्च अधिकारियों का एस.एल.बी.सी. की 54वीं **बैठक** में पधारने पर आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद किया।

प्रधानमंत्री बीमा एवं पेंशन योजनाएं ;

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि सभी सहयोगी बैंकों द्वारा राज्य के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में किए गए समग्र प्रयासों तथा सक्रिय सहयोग के फलस्वरुप अब तक सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 9,84,148 एवं जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 3,22,649 व्यक्तियों को पंजीकृत कर लिया है और शेष सभी पात्र खाताधारकों का नामांकन करने की प्रक्रिया तीव्र गति से कर ली जाएगी।

आधार कार्ड संख्या को खातों से जोड़ना
(Seeding of Aadhaar No.)

उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा "डिजिटल इण्डिया" की धारणा (**concept)** को अपनाने पर जोर दिया क्योंकि अब सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देय लाभ राशि बैंक खातों में ऑन-लाइन अंतरित की जाने की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है।

प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना :

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि लघु एवं मध्यम उद्यम (नॉन फार्म सेक्टर) को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2015 को **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत **Manufacturing, Trading and Services** हेतु ` **10 लाख** तक के बैंक ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं, जिसके लिए विशेष रुप से पृथक आवेदन पत्र का प्रारुप बैंकों के उपयोगार्थ उपलब्ध करा दिया गया है।

ऋण-जमा अनुपात

उन्होंने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही में राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग 58 % है, जिसे हम सभी बैंकों के सहयोग से माह दिसम्बर, 2015 तक 60 % से अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से अनुरोध किया कि सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करें कि वे अपने क्षेत्र का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने से संबंधित क्लस्टर आधारित बैंकयोग्य योजनाएं बनाकर, क्रियान्वयन हेतु संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराएं।

<u>आपदा - राहत</u>

उन्होंने बताया कि विगत में हुई ओलावृष्टि, अत्याधिक वर्षा एवं आंधी - तूफ़ान से फ़सलों को हुई व्यापक क्षति को ध्यान में रखते हुये कृषकों को राहत देने के उद्देश्य से अब तक बैंकों ने **43,078** किसानों के फ़सली ऋण को पुर्नगठित कर ` **791** करोड राशि को मियादी ऋण में परिवर्तित कर दिया है ताकि ऋण का भुगतान आसान किश्तों में किया जा सके। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा उन्हें नये कृषि ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

<u>पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने में आ रही कठिनाइयाँ :</u>

उन्होंने समस्त बैंकों की ओर से सदन को अवगत कराया कि बैंकों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से संबंधित शिकायत (**FIR)** को पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने में अनावश्यक विलम्ब व कठिनाई होती है और राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में सहयोग करते हुए उत्तराखंड पुलिस के माध्यम से समुचित व्यवस्था की जाए।

अंत में उन्होंने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सभी सदस्य बैंकों, डेवलेपमेन्टल एजेन्सियों, पत्रकार बंधुओं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तराखंड में बैंकिंग सिस्टम को प्रदान किए समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास प्रकट किया कि सभी बैंक, राज्य सरकार के सहयोग से राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाते रहेंगे।

श्री हरीश रावत, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय एवं सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए हमें बैंकों से बहुत अपेक्षाएं हैं, परंतु राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु अब तक बैंको द्वारा किए जा रहे प्रयास पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य का इस तिमाही में ऋण-जमा अनुपात 58 प्रतिशत तो है परंतु आँकड़ों की विवेचना करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य के जिलेवार ऋण-जमा अनुपात में बहुत अधिक असमानता हैं। क्योंकि अगर हम मैदानी जिलों के सी.डी. रेश्यो को हटा दें तो पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात 23-24 प्रतिशत ही रह जाएगा। आगे कहा कि पहाड़ी जिलों का उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप संभाव्यता का आंकलन किया जाए और बैंकों के साथ मिलकर सरकारी विभाग, स्थानीय संसाधानों को ध्यान में रखते हुए बैंकयोग्य योजनाएं बनाएं और विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराएं।

उन्होंने बैंकों से कहा कि जिन जिलों में बैंक की शाखाएं कम हैं वहाँ बैंकों ने “बैंक मित्र” भी कम संख्या में नियोजित किए हैं जैसे कि जिला चम्पावत, बागेश्वर एवं नैनीताल।

डा. श्रीमती इंदिरा हृदयेश, माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड

माननीय वित मंत्री जी ने बैंकों से कहा कि एस.एच.जी. के माध्यम से राज्य में स्त्री शक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रबल संभवाना है। इसलिए सभी बैंकों को चाहिए कि वे महिला उद्यमियों को विशेषकर एस.एच.जी. को उदारतापूर्वक बिना गारंटी के ऋण प्रदान करें, जिससे कि महिलाएं आर्थिक रुप से स्वावलम्बित हो सकेंगी।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी "मुद्रा योजना" के अंतर्गत रु. 10 लाख तक के ऋणों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए।

<u>श्री राकेश शर्मा, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन</u>

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर अधिकांश जनसाधारण को लाभ पहुँचाने में बैंकों ने अहम भूमिका निभाई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2015 को आरम्भ की गयी "सुरक्षा बन्धन योजना" के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को इसके सुरक्षा कवच में लाने के लिए बैंकों को बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार कर क्रियान्वयन हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह योजना दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक ही लागू रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब बैंकों द्वारा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, परंतु अब भी कई दुर्गम स्थानों पर बी.एस.एन.एल. की ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने के कारण बैंक को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अनावश्यक कठिनाई हो रही है।

उन्होंने संयोजक, एस.एल.बी.सी. को परामर्श दिया कि इस बैठक के एजेण्डा को तीन श्रेणियों में रखा जाए जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना, एम.एस.एम.ई. एवं अन्य विविध मदों के लिए अलग-अलग कोर-कमेटी का गठन किया जाए, जिसकी बैठक् प्रत्येक पखवाड़े में आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए।

<u>श्री अनूप वधावन, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार</u>

अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने कहा कि बैंक अधिक से अधिक संख्या में अपने पात्र खाताधारकों को भारत सरकार द्वारा लागू की गयी तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित करें। आगे कहा कि इस वर्ष रक्षा बन्धन के उपलक्ष्य में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर "सुरक्षा बन्धन योजना" दिनांक 01 अगस्त, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक के लिए लागू की गयी है। महिलाओं को वास्तविक रुप से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से बैंक इसका प्रचार-प्रसार कर, उन्हें इस योजना से जुड़ने हेतु प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि "मुद्रा योजना" को भी वित्तीय समावेशन के समकक्ष माना जाए और राज्य में सूक्षम उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर बैंकों ऋण प्रदान करें।

<u>श्री अमित नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन</u>

सचिव (वित्त) ने सदन को अवगत कराया कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला अग्रणी जिला प्रबंधकों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्स करके बैंकों से सम्बद्ध योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और निर्देशित किया कि कैम्प मोड में दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करना सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ जिलों में इन योजनाओं में प्रगति धीमी रही है।

<u>श्री बिश्वा केतन दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक</u>

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी शीर्ष अधिकारियों को 54वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे "मुद्रा योजना" के अंतर्गत छोटे उद्यमियों एवं व्यवसाइयों तथा स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण वितरित करें।

उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों एवं बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये धन्यवाद किया।

****